



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं० पटना 341) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मार्च 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

7 मार्च 2019

एस० ओ० 48, दिनांक 7 मार्च 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 23 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को, उस श्रेणी के व्यक्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं, जिनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त है, यथा:-

ऐसा कोई व्यक्ति जो कि माल की अनन्य आपूर्ति में लगा हो और जिसका पिछले वित्तीय वर्ष का कुल कारोबार चालीस लाख रुपए से अधिक न हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर,-

- (क) जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण कराना जरूरी हो;
- (ख) जो कि ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति में लगे हों जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों;

- (ग) जो कि अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड राज्यों में अंतःराज्यीय आपूर्ति में संलग्न हों; और
- (घ) धारा 25 की उप धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत विकल्प अपना रहे हों या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने पंजीकरण को जारी रखना चाहते हैं ।

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों ।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 855)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 डॉ० प्रतिमा,
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

7 मार्च 2019

एस० ओ० 48, दिनांक 7 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 855)]
 बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 डॉ० प्रतिमा,
 राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 7th March 2019

S.O. 48, Dated 7th March 2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)(hereafter referred to as the “said Act”), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies the following category of persons, as the category of persons exempt from obtaining registration under the said Act, namely,-

Any person, who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed forty lakh rupees, except, -

- persons required to take compulsory registration under section 24 of the said Act;
- persons engaged in making supplies of the goods, the description of which is

specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table;

- (c) persons engaged in making intra-State supplies in the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttarakhand; and
- (d) persons exercising option under the provisions of sub-section (3) of section 25, or such registered persons who intend to continue with their registration under the said Act.

Table

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2	2106 90 20	Pan masala
3	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 855)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 341-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>